T.S-03/2014

05.04.2021 वादी की कोई पैरवी नहीं है। प्रतिवादी सं०-B/2 की पैरवी है। वाद पुकारा गया है। पुकार पर प्रतिवादी सं०-B/2 के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी सं०-B/2 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी को इस वाद में मो० 30,000/- duty money दाखिल करने का आदेश इस न्यायालय द्वारा किया गया है लेकिन वादी द्वारा duty money दाखिल नहीं किया जा रहा है ऐसी स्थिति में दाखिल वाद को खारिज किया जाए। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी को दि०-04.08.2018 को मो० 30,000/- duty money जमा करने का आदेश इस न्यायालय द्वारा किया गया था। लेकिन वादी द्वारा आज तक न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। वादी को इस वाद में कोई अभिरुचि प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में दाखिल वाद को अभिरुचि के अभाव में खारिज किया जाता है। कार्यालय अंतिम कार्रवाई उपरान्त अभिलेख अभिलेखागार में संचित करे।

लेखापित

जिला न्यायाधीश